भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3377

दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश के दलित पंचायत क्षेत्रों में साफ-

सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होना

3377. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की अनेक पंचायतों, विशेषकर दलित क्षेत्रों की पंचायतों ने साफ-सफाई की सुविधाएं अच्छी नहीं होने के संबंध में सूचना दी है;

(ख) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की उन पंचायतों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने सरकार से धनराशि आवंटित करने और जलनिकास तथा साफ-सफाई में सुधार लाने के लिए अनुरोध किया है,

(ग) ऐसी पंचायतों में जल निकास और ग्रामीण स्वच्छता के निधियन हेतु उपलब्ध प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2017-18 और 2018-19 में ऐसी पंचायतों को दलित और निर्धन श्रेणी के लोगों के लिए अपनी साफ-सफाई की सुविधाओं में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) दिनांक 02.10.2014 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्वच्छता कवरेज 50.44% था। दिनांक 22.03.2018 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर 90.28% हो गया है।

(ख) स्वच्छता राज्य का विषय है। अतः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का कार्यान्वयन राज्यों सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है और कार्यक्रम के तहत राज्य

सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं जो जिलों/पंचायतों/लाभार्थियों की मांग के अनुसार फिर उन्हें निधियां जारी करती है।

(ग) (एसबीएम(जी)) की शुरूआत 2 अक्तूबर, 2014 को हुई थी जिसका लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम में व्यवहार में परिवर्तन तथा शौचालयों के उपयोग पर बल दिया जाता है। एसबीएम (जी) के अंतर्गत आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर(एपीएल) के चिन्हित परिवारों (सभी अ.जा./अ.ज.जा., लघु और सीमांत किसानों, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूरों, दिव्यांगजन और महिला प्रमुख परिवारों) को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी मौजूद है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का एक अभिन्न घटक है और इस घटक के अंतर्गत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस प्लांट, कम लागत निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स, अपशिष्ट जल का पुन: प्रयोग, घरेलू कचरे का एकत्रण, पृथक्कीकरण तथा निपटान की प्रणाली और मासिक धर्म संबंधी सफाई प्रबंधन आदि जैसी गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। एसबीएम (जी) के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां को चलाने के लिए 150/300/500 या 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 7/12/15/20 लाख रुपए की सीमा के साथ वित्तीय सहायता भी दी गई है।

(घ) एसबीएम (जी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है। आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन के पात्र हैं। वार्षिक बजटीय आबंटन का 22% तथा 10% अनुसूचित जाति (अ.जा.) तथा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) के लिए चिह्नित है।